



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स : 0612-2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई-मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा सूचना संख्या- विपणन 13/2014-15

इच्छुक सभी सरकारी/राष्ट्रीय सहकारी/निजी बीज उत्पादन कम्पनी/फर्म से जिनका बीज व्यापार में गत दो वर्षों में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो तथा (1) जिनका न्यूनतम 500 एकड़ स्वयं का अथवा लीज का निबंधित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है। (2) स्वयं का अथवा लीज का न्यूनतम 2 मैट्रिक टन प्रति/घंटा प्रोसेसिंग इकाई है। (3) आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने के स्थिति में कम्पनी का स्वयं एवं डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैध अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है एवं बिहार राज्य बीज निगम के डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने पर बिहार राज्य में बीज बिक्री का अनुज्ञप्ति अनिवार्य नहीं है, से निम्न तालिका के अनुसार सत्यापित बीज क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र०	फसल	श्रेणी	अनुमानित बीज की आवश्यकता (क्वी० में)	पैक साईज किलोग्राम में
1	ढेंचा	सत्यापित	1,00,000.00	4 Kg

निविदा हेतु प्री-बीड बैठक दिनांक- 05.02.2015 अपराह्न 3.00 बजे प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० –सह- कृषि निदेशक, बिहार, पटना के विकास भवन, बेली रोड, पटना के द्वितीय तल पर स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई है, जिसमें इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।

निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23.02.2015 को अपराह्न 1:00 बजे तक निगम मुख्यालय, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना में रू० 1000.00 (एक हजार) रुपये मात्र नगद भुगतान पर कार्यालय अवधि में प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र निगम के वेबसाइट:-brbn.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। जिसके साथ रू० 1000.00 मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र के साथ रू० 5,00,000.00 (पांच लाख रुपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बिहार राज्य बीज निगम लि० पटना के पक्ष में अर्नेस्ट मनी (अग्रधन राशि) जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० –सह- कृषि निदेशक, बिहार, पटना के विकास भवन, बेली रोड, पटना के द्वितीय तल पर स्थित कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 24.02.2015 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी। पूरी तरह भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक Technical Bid तथा Financial Bid अलग-अलग लिफाफा में मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफा को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निगम मुख्यालय, पटना में निविदा बॉक्स में जमा करना होगा। लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना संख्या-विपणन 13/2014-15 अंकित करना अनिवार्य है। Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid तथा Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid लिखना अनिवार्य है। सभी लिफाफे मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है। आवश्यकतानुसार निविदादाताओं के स्टॉक एवं गोदाम का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी मात्रा कम-अधिक हो सकती है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० बिहार के पास सुरक्षित है।

विपणन प्रमुख



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स : 0612-2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई-मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या- विपणन-13/2014-15

मनी रसीद संख्या दिनांक

राशि रू0 1000/- (एक हजार रूपये मात्र)

पार्टी का नाम एवं पता

रोकड़पाल का हस्ताक्षर

नोट :- निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2015 को 5:00 बजे अपराह्न तक Technical Bid तथा Financial Bid अलग-अलग लिफाफा में मुहरबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर विपणन प्रमुख को संबोधित करते हुए बिहार राज्य बीज निगम लि0, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना में हाथों-हाथ निविदा बॉक्स में डालना होगा। Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid तथा Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid लिखना है, साथ ही सभी लिफाफों को मुहरबंद करना है।

Technical Bid लिफाफा में पृष्ठ संख्या 1 से 5, बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की छायाप्रति, शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा, बिक्री कर (VAT) प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं डिमांड ड्राफ्ट तथा Financial Bid लिफाफा में पृष्ठ संख्या 6 से 8 एवं वित्तीय निविदा हेतु शर्त संख्या- 3 के अनुसार शपथ-पत्र डालकर बंद करें।

निविदा एवं अनुलग्नक के सभी पृष्ठों पर निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य है।

विपणन प्रमुख



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना – 800 001 (बिहार)

दूरभाष/फैक्स : 0612-2344396, 6453389 वेबसाइट : brbn.bih.nic.in ई-मेल : brbn.bih.mail@gmail.com

निविदा सूचना संख्या- विपणन 13/2014-15

इच्छुक सभी सरकारी/राष्ट्रीय सहकारी/निजी बीज उत्पादन कम्पनी/फर्म से जिनका बीज व्यापार में गत दो वर्षों में लगातार 2 करोड़ प्रति वर्ष का टर्न ओभर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो तथा (1) जिनका न्यूनतम 500 एकड़ स्वयं का अथवा लीज का निबंधित बीज उत्पादन प्रक्षेत्र है। (2) स्वयं का अथवा लीज का न्यूनतम 2 मैट्रिक टन प्रति/घंटा प्रोसेसिंग इकाई है। (3) आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने के स्थिति में कम्पनी का स्वयं एवं डीलर का बिहार राज्य में बीज बिक्री का वैध अनुज्ञापित होना अनिवार्य है एवं बिहार राज्य बीज निगम के डीलर के माध्यम से बीज का वितरण करने पर बिहार राज्य में बीज बिक्री का अनुज्ञापित अनिवार्य नहीं है, से निम्न तालिका के अनुसार सत्यापित बीज क्रय के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र०	फसल	श्रेणी	अनुमानित बीज की आवश्यकता (क्वी० में)	पैक साईज किलोग्राम में
1	ढेंचा	सत्यापित	1,00,000.00	4 Kg

निविदा हेतु प्री-बीड बैठक दिनांक- 05.02.2015 अपराह्न 3.00 बजे प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० -सह- कृषि निदेशक, बिहार, पटना के विकास भवन, बेली रोड, पटना के द्वितीय तल पर स्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई है, जिसमें इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।

निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23.02.2015 को अपराह्न 1:00 बजे तक निगम मुख्यालय, कृषि प्रक्षेत्र परिसर, मीठापुर, पटना में रू० 1000.00 (एक हजार) रूपये मात्र नगद भुगतान पर कार्यालय अवधि में प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र निगम के वेबसाइट:-brbn.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। जिसके साथ रू० 1000.00 मात्र का डिमांड ड्राफ्ट अलग से जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र के साथ रू० 5,00,000.00 (पाँच लाख रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट बिहार राज्य बीज निगम लि० पटना के पक्ष में अर्नेस्ट मनी (अग्रधन राशि) जमा करना अनिवार्य है। निविदा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० -सह- कृषि निदेशक, बिहार, पटना के विकास भवन, बेली रोड, पटना के द्वितीय तल पर स्थित कार्यालय कक्ष में निविदा समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 24.02.2015 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी। पूरी तरह भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक 23.02.2015 को अपराह्न 5:00 बजे तक Technical Bid तथा Financial Bid अलग-अलग लिफाफा में मुहरबंद कर तथा दोनों लिफाफा को एक अलग बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निगम मुख्यालय, पटना में निविदा बॉक्स में जमा करना होगा। लिफाफा के ऊपर निविदा सूचना संख्या-विपणन 13/2014-15 अंकित करना अनिवार्य है। Technical Bid लिफाफा पर Technical Bid तथा Financial Bid लिफाफा पर Financial Bid लिखना अनिवार्य है। सभी लिफाफे मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है। आवश्यकतानुसार निविदादाताओं के स्टॉक एवं गोदाम का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी मात्रा कम-अधिक हो सकती है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० बिहार के पास सुरक्षित है।

विपणन प्रमुख

तकनीकी निविदा

1. विज्ञापन संख्या:- विपणन 13/2014-15 निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि:-
2. निविदादाता कम्पनी का नाम एवं पता:-
3. निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले का नाम एवं पदनाम:-
(प्राधिकार पत्र संलग्न करें)
4. मोबाईल/फोन संख्या (सम्पर्क संख्या):-
5. ई-मेल :-
6. सुरक्षित जमा राशि का व्यौरा:-

बैंक का नाम:-

ड्राफ्ट संख्या/तिथि:-

राशि:-

7. आयकर पैन संख्या (छायाप्रति अनु0-1):-
8. अंकित वार्षिक प्रतिवेदन (प्रतिलिपि संलग्न अनु0-2):-

क्र0	वर्ष	टर्न ओवर (करोड़ में) कृपया शब्दों में भी अंकित करें
1	2013-14	
2	2012-13	

9. निविदा के शर्त मान्य है/नहीं है:-
10. शपथ-पत्र (बीज आपूर्ति के क्रय में देश में कहीं भी शिकायत नहीं होने के सम्बन्ध में अनु0-3) :-
11. बीज उत्पादन क्षेत्र का व्यौरा:- (बीज प्रमाणन एजेन्सी का प्रमाण-पत्र अनु0-4)।

स्वयं का या लीज का -

रकबा (एकड़ में)-

पता:- ग्राम:-

जिला:-

राज्य:-

12. प्रोसेसिंग ईकाई का निबंधन एवं पता :- (प्रमाण संलग्न करें अनु0-5):-
13. ढ़ैचा बीज की उपलब्ध मात्रा का व्यौरा:-

क्र0	फसल ढ़ैचा	निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मात्रा क्वी0 में (न्यूनतम 5000 qtls)	अभियुक्ति
1	2	3	4

निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नियम एवं शर्त

(क) तकनीकी निविदा हेतु :-

1. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर नेटवर्क से प्रखंड स्तरीय कैम्पो में कृषको को आपूर्ति किये जाने की स्थिति में निगम द्वारा 2% हस्थालन की कटौती की जायेगी। यदि आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा निगम के डीलर नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी तो डीलर कमीशन एवं हस्थालन मद में 8% + 2% कुल 10% की कटौती निगम द्वारा की जायेगी।
2. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली बीज के गोदाम की विवरणी फसलवार भण्डारित बीज की गोदामवार मात्रा एवं भण्डारित गोदाम का नाम एवं पूर्ण पता तकनीकी निविदा के साथ अंकित करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. 10000 क्वी० से कम मात्रा उपलब्ध करवाने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. ढैंचा बीज की आपूर्ति 10 अप्रैल 2015 तक अनिवार्य रूप से राज्य में निगम/अधिकृत बिक्रेता के माध्यम से बिहार राज्य के विभिन्न प्रखंडों में किया जाना है।
5. जिलावार तथा फसलवार बीज की मात्रा उस जिले के सभी प्रखण्डों में आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं अथवा बिहार राज्य बीज निगम के अधिकृत बीज बिक्रेता के माध्यम से चयनित किसानों को अनुदानित दर पर प्रखंड स्तरीय कृषक षिविर में उपलब्ध कराया जायेगा।
6. निगम को सीधे आपूर्ति करने अथवा आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपने डीलर नेटवर्क से आपूर्ति करने, दोनों स्थितियों में जिला स्तर पर बीज आपूर्ति करने के पश्चात् मूल विपत्र एवं चालान/जी० आर० पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के साथ मूल प्रति में जिला कृषि पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर आपूर्ति तिथि के एक माह के अन्दर जमा करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
7. कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये फसलवार, श्रेणीवार, बीज का नमूना, बीज को पहुंचाने वाले वाहन से संग्रहण संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नामित सक्षम पदाधिकारी प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजेगें। नमूना अमानक पाये जाने पर बीज का भुगतान रोककर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है एवं प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता कम्पनी को करना होगा।
8. तकनीकी निविदा के साथ निम्न से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-
 - (i) न्यूनतम 500 एकड़ का बीज उत्पादन क्षेत्र स्वयं अथवा लीज का बीज प्रमाणन एजेन्सी के साथ निबंधित।
 - (ii) न्यूनतम 2MT/घंटा क्षमता का प्रोसेसिंग इकाई स्वयं अथवा लीज का बीज प्रमाणन एजेन्सी के साथ निबंधित।

निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

- (iii) बीज व्यापार न्यूनतम 2 करोड़ वार्षिक का टर्नओवर सरकारी/अर्द्धसरकारी/राष्ट्रीय सहकारी बीज कंपनी के साथ हो। मात्र अंकेक्षण प्रमाण-पत्र की सार (Summary) पृष्ठ एवं आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
9. बीज के थैला पर निम्न बातें लिखी होनी चाहिए:-
- केवल बिहार राज्य में बिक्री के लिए।
 - हरी चादर योजना अन्तर्गत।
 - जहर से षोधन किया हुआ एवं खाने योग्य नहीं।
 - लाल रंग में खतरनाक चिन्ह (हड्डी एवं खोपड़ी का चिन्ह) बनावें।
 - बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
 - विपणन द्वारा बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना।
10. बन्द लिफाफे के ऊपर निविदादाता कम्पनी का नाम एवं पता अंकित होगा जो विपणन प्रमुख, बिहार राज्य बीज निगम लि0 पटना को प्रेषित होगा।
11. बीज आपूर्ति बिहार के विभिन्न जिलों में आपूर्ति आदेश में अंकित तिथि के अन्दर करना होगा। आपूर्ति आदेश में अंकित समय पर बीज आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
12. आपूरित बीज में अंकुरण से लेकर खेत में पलटने तक में किसी प्रकार की शिकायत की सूचना प्राप्त होने पर आपूर्तिकर्ता बीज कम्पनी जिम्मेवार होगी।
13. निविदादाता द्वारा अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगा।
14. निविदा में सम्मिलित निविदादाता निविदा की पूर्ति हेतु अपना निविदा नहीं निकालेंगे। सूचना प्राप्त होने पर उनकी निविदा अमान्य की जा सकती है।
15. स्वीकृत मात्रा से कम या अधिक मात्रा में क्रय करने अथवा क्रय नहीं करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा।

निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

निविदा सूचना संख्या- विपणन-13 / 2014-15

वित्तीय निविदा

1. बीज कम्पनी का नाम एवं पता-

.....

.....

2. दर संबंधी विवरणी:-

क्र०	फसल	श्रेणी	आपूर्ति की जाने वाली बीज की मात्रा (क्वी० में)	पैकिंग साईज (4 कि०ग्रा० में)	दर FOR जिला स्तरीय सभी कमीषन सहित प्रति क्वी० रू० में
1	2	3	4	5	6
1	ढैचा	सत्यापित		4 Kg	

निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(ख) वित्तीय निविदा हेतु

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. ढैंचा सत्यापित बीज के लिए 4 किलोग्राम पैकिंग साईज का दर प्रति क्वी० रू० में अधिकृत बीज विक्रेता के स्तर पर मूल्य वित्तीय निविदा में अंकित करना होगा। उक्त प्रति क्वी० अंकित दर में परिवहन हस्थालन अधिकृत बीज विक्रेता कमीषन एवं जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर वितरण कृषक षिविर में किसानों के बीच वितरण तथा अन्य सभी व्यय की गयी राशि षामिल होगी।
3. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा आपूरित किए गए बीज में बीज अंकुरण से लेकर फसल खेत में पलटने तक में किसी प्रकार की षिकायत की सूचना प्राप्त होने पर पूर्ण जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी एवं प्रभावित कृषकों को प्रति एकड़ फसल की क्षतिपूर्ति की भरपाई आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में निविदादाताओं को नोटरी पब्लिक से शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जिसमें देश में बीज आपूर्ति हेतु कहीं से भी षिकायत नहीं प्राप्त होने संबंधित शपथ-पत्र भी संलग्न किया जायेगा।
4. न्यूनतम दर (कॉलम-6) के आधार पर तय किया जाएगा।
5. निविदा में घोषित न्यूनतम दर अथवा न्यूनतम दर से कम दर पर आपूर्ति करने हेतु इच्छुक अन्य निविदादाताओं को भी बीज उपलब्धता के आधार पर आपूर्ति आदेश प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० द्वारा दिया जा सकता है।
6. आपूर्ति आदेश न्यूनतम दर एवं बीज उपलब्धता एवं निगम की आवश्यकता के आधार पर निविदा समिति द्वारा दिया जाएगा।
7. सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश के एक सप्ताह के अंदर आपूर्ति की मात्रा के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत राशि Performance Security के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर यह राशि जब्त की जा सकती है।
8. बीज की आपूर्ति कृषि विभाग द्वारा निर्धारित समय में उपलब्ध कराना होगा। ससमय बीज आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द की जा सकती है।
9. निविदा में न्यूनतम मूल्य पर ढैंचा बीज क्रय हेतु मात्रा आवंटित करने के लिए प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम लि० का निर्णय अन्तिम होगा।
10. निविदा की प्रक्रिया में विवाद की स्थिति में निविदा प्रक्रिया समाप्ति के उपरान्त अपीलीय परिवाद दायर किया जा सकता है, जिसपर अध्यक्ष-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना का निर्णय अन्तिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।
11. अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में विवाद का न्याय अधिकार क्षेत्र पटना जिला होगा।

**निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर**

(ग) भुगतान की प्रक्रिया:-

1. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किए गए बीज के मूल चालान/जी0आर0नं0 पर बीज प्राप्तकर्ता अधिकृत बीज बिक्रेताओं तथा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर मुहर सहित बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त 50 प्रतिषत राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. सफल बीज अंकुरण जॉचोपरान्त शेष 50 प्रतिषत राशि का भुगतान अनुमान्य कटौतियों एवं सभी वांछित कागजातों के उपस्थापन पर किया जाएगा।
3. बिहार राज्य बीज निगम लि0 के विपणन तंत्र अधिकृत बीज बिक्रेताओं का इस्तेमाल करने पर निगम द्वारा दिये जाने वाले कुल राशि का 10 प्रतिषत कमीषन एवं हस्थालन की कटौती के उपरान्त नियमानुसार शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
4. आपूर्तिकर्ता कम्पनी अपने डीलर के माध्यम से वितरण करने पर हस्थालन कमीषन 2 प्रतिषत आपूर्ति आदेश में अंकित दर के कुल भुगतेय राशि से कटौती के उपरान्त शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. अमानक पाए गए बीज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा साथ ही अमानक बीज वापसी के लिए बिहार राज्य बीज निगम जिम्मेवार नहीं होगा। साथ ही आपूर्तिकर्ता पर ऐसी स्थिति में बीज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। अमानक बीज से प्रभावित कृषकों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता कम्पनी को करना होगा।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा आपूर्ति किए गए बीज के मूल चालान/जी0आर0नं0 पर बीज प्राप्तकर्ता, अधिकृत बीज बिक्रेताओं तथा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर मुहर सहित बिहार राज्य बीज निगम के मुख्यालय, पटना में बीज आपूर्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण आपूर्ति हेतु एक साथ में ही मूल चालान/जी0आर0 नं0 जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में जमा किये गये चालान/जी0आर0नं0 के भुगतान हेतु उनका दावा मान्य नहीं होगा।

**निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर**

प्रमाण-पत्र

निविदा सूचना संख्या- विपणन 13/2014-15 से संबंधित सभी नियम शर्त मान्य है तथा उक्त शर्त को भलीभाँति पढ़कर एवं समझकर हस्ताक्षर किया हूँ।

**निविदादाता या निविदादाता के
अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर**